WWW.LIVELAW.IN

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, लखनऊ।

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–3836/2020

प्रशान्त कनौजिया पुत्र श्री जगदीश कनौजिया निवासी–सर्वोदय हाउसिंग सोसाइटी, 90 फीट रोड, एल0बी0एस0 मार्ग सकीनाक,कुर्ला वेस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र–400072,द्वारा चन्द्रेश कुमार यादव।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्याः 180/2020
धारा–505(1)(b),501,500 भा0द0सं0
एवं 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधि0
थानाः आशियाना, लखनऊ

01–09–2020

प्रार्थी/अभियुक्त **प्रशान्त कनौजिया** की ओर से मुकदमा अपराध संख्याः 180/2020, धारा–505(1)(b), 501, 500 भा0द0सं0 एवं 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधि0 थानाः आशियाना, लखनऊ के प्रकरण में प्रथम जमानत हेतु आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र चन्द्रेश कुमार यादव प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी शशांक शेखर सिंह ने दिनांक 6.4. 2020 को थाना हजरतगंज, लखनऊ में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि रविवार रात दिनांक पॉच अप्रैल 2020 को वह अपने सोशल मीडिया एकाउंट टवीटर पर कोरोना से संबंधित खबरे पढ़ रहा था। इस दौरान उसकी नजर प्रशांत कन्नौजिया नाम के युवक के प्रोफाइल पर गई। प्रशांत कन्नौजिया ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी की फोटो लगाकर उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसने जब ध्यान से प्रशांत कन्नैजिया की प्रोफाइल चेक किया तो पता चला कि यह शख्स देश के संभ्रांत लोगों के खिलाफ लगातार अमर्यादित टिप्पणी कर रहा है। 25 मार्च 2020 को प्रशांत कन्नौजिया ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी अभ्रद टिप्पणी करते हुए उन्हें अनपढ़ बोला था। यही नहीं एक मार्च 2020 को प्रशांत कन्नौजिया नाम के व्यक्ति ने समाज को बांटने वाला भड़काउ टवीट किया था, जिसकी प्रति संलग्न है। इसके अलावा 20 फरवरी 2020 को प्रशांत कन्नौजिया ने सर्वण समाज और दलित समाज के बीच जंग छेड़ने की बात लिखी थी । यह शख्स लगातार देश में हिंसा फैलाने, समुदायों को आपस में निरंतर लड़ाने और मेरे तथा देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम कर रहा है। उसे विश्वास है कि ऐसी भड़काउ पोस्ट से न केवल विभिन्न समुदायों में कटुता फैलेगी अपितु

WWW.LIVELAW.IN

हिंसा भी फैल सकती है। साथ ही विभिन्न संगठनों में रोष व्याप्त हो गया है जो कभी भी सड़कों पर आकर रोष व्यक्त करते हुए कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकते है। उसे जानकारी मिली हैकि प्रशांत कन्नौजिया अपराधिक छवि का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ पहले से मुकदमें दर्ज है और यह पूर्व में जेल भी जा चुका है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी की ओर से यह तर्क किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 दलित समुदाय आदि की फोटो पोस्ट करते हुए आपत्तिजनक कमेंट किया गया है जिससे देश के नागरिकोंके मध्य जाति, धम्र आदि को लेकर आपस में हिंसा कारित होने तथा देश व प्रदेश की सरकार के विरूद्ध लोगों को भड़ाकर हिंसा फैलाने के उद्वेश्य से कमेंट किया है। अभियुक्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेंच में गया था जहॉ पर उसे माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। अभियुक्त आपत्तिजनक टवीट करने का आदी है। अभियुक्त अपने टवीट के माध्यम से देश नागरिकों के मध्य जातिगत व धार्मिक भावनायें भड़ाकर हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त का निरस्त करने की याचना की गयी है।

प्राथी/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना है। प्राथी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र मुख्य दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 19.8.2020 को निरस्त किया जा चुका है। प्राथी/अभियुक्त को थाना हजरतगंज पुलिस द्वारा एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 222/2020 में गिरफ्तार किया गया है। प्राथी/अभियुक्त 27 वर्ष का नवयुवक है और जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गई है।

उभयपक्षों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का सम्यक् अवलोकन किया गया।

अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पर प्रशांत कन्नौजिया ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी की फोटो लगाकर उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने, देश के संभ्रांत लोगों के खिलाफ लगातार अमर्यादित टिप्पणी करने और 25 मार्च 2020 को प्रशांत कन्नौजिया ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी आत्यिनाथ पर भी अभ्रद टिप्पणी करते हुए उन्हें अनपढ़ बोलने, एक मार्च 2020 को समाज को बांटने वाला भड़काउ टवीट करने तथा 20 फरवरी 2020 को प्रशांत कन्नौजिया ने सर्वण समाज और दलित समाज के बीच जंग छेड़ने का गम्भीर आरोप है देश में हिंसा फैलाने, समुदायों को आपस में निरंतर लड़ाने और मेरे तथा देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने का आरोप है। माननीय उच्च

WWW.LIVELAW.IN

न्यायालय में दाखिल **मिस0 रिट नं0–7974/2020 प्रशांत जगदीश कनौजिया बनाम स्टेट आफ यू0पी** में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 8.5.2020 के द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 0180/2020 धारा–500, 501, 505(1)(बी)भा0दं0सं0 व धारा–67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो थाना आशियाना जनपद लखनउ में दर्ज है, प्रथम सूचना रिपोर्ट के निरस्तीकरण के याचिका को अभियुक्त के आपत्तिजनक टवीटर पर की गयी टिप्पणी व आपराधिक इतिहास को विचार करते हुए निरस्त कर दिया है तथा विवेचक को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अर्नेस्ट कुमार बनाम स्टेट आफ बिहार 2014 (8) एससीसी 273** में दिये गये दिशानिर्देश के आलोक में विवेचना करने का आदेश दिया गया है

मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत आवेदन–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **प्रशान्त कनौजिया** का जमानत आवेदन–पत्र निरस्त किया जाता है।

(अमरजीत वर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1,
लखनऊ।

दिनांकः 01–09–2020